

झारखंड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशांक MAO/श0/झारखंड, राँची

सेवा में,

सचिव,
सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली।

राँची, दिनांक 20/1/04

विषय- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय, उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अंतर्गत संचालित निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है-

1. इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, काँके रोड राँची।
2. स्टार इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल जोकर राँची।
3. इस्ट प्यार्इन्ट राँची।
4. सरस्वती विद्यामंदिर करकेट्टा परियोजना खेलाड़ी, राँची
5. दयावती श्रीदी पब्लिक स्कूल उमेशनगर, चाण्डल पूर्वी सिंहभूम।
6. गायत्री शिक्षा निदेशन उच्च विद्यालय, आदितापुर सरायकेला-खरसावाँ।
7. डी0ए0भी पब्लिक स्कूल सिमडेगा।
8. स्कूल आफ कम्प्यूटिंग तालडांगा हाउसिंग कलोनी खिरहुआ-धनबाद।
9. सुनभ्रम पब्लिक स्कूल महाराजगंज, हजारीबाग।
10. सरस्वती शिक्षा विद्या मंदिर बरगड़ा गिरिडीह।
11. सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्प प्रोजेक्ट हजारीबाग।
12. राम प्रसाद चन्द्रभान सरस्वती विद्या मंदिर गोछा रोड, हजारीबाग।
13. ग्रीन माउन्ट एकेडमी, जेल रोड दुमका।

शर्त एवं बन्धन जिसके अधीन उपर्युक्त निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

1. विद्यालय की वार्षिक बचत भाग 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ उचित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है।

B. K. Sharma.
PRINCIPAL
Munam Public School
Affiliation No. 3430181
School No. 66369

गया है।

-2-

1. कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।
2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।
3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बाधत या कम से कम 30 वर्ष के निर्बाधत पट्टा/लीज पर होना चाहिए। यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा।
4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क दिया जायेगा।
7. विद्यालय का कार्य कलाप राइट के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रसास करना होगा।
8. विद्यालय में छात्रों की सुरुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिए।
9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीचीपरान्त संशोधन कर सकेगी।
10. विद्यालय विद्यालयीय प्रकृति नियमावली के आधार पर गठित शासकीय निकाय के सदस्यों की कार्यवाही पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्स्टेंशन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एन0एन0, स्कॉउड एवं गार्ड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।
12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
13. उपर्युक्त शर्तों या बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जाली वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटूता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।
15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग,

B. K. Sharma
PRINCIPAL
Munam Public School
Affiliation No. 3430181
School No. 66389

झारखंड के तत्काल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधायक संस्था के विपक्षीय एवं अनापत्ति अनिर्वाचितताओं को जांच करा होगी और अंतर्गत जांचोपरान्त अनुसंधान करवाये जा सकेंगे ।

16. एतद विधेयक विधि प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा अंतर्गत माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधायक संस्थाओं को निर्णय लिये जायें उक्त अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा पार्लो का उत्पन्न मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विधायक

श्री सुरेश चंद्र सिंहा
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रांची ।

ज्ञापक 209 / रांची, दिनांक - 30-1-2014
प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/ सभी संबंधित जिला शिक्षा अथवा पदाधिकारी/ सभी संबंधित विधायक के प्रधानाध्यापको को सूचना प्रेषित ।

श्री सुरेश चंद्र सिंहा
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रांची ।

ज्ञापक 209 / रांची, दिनांक - 30-1-2014
प्रतिलिपि, माननीय संत्री के आगत सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रांची ।

Asharma

PRINCIPAL
Munam Public School
Affiliation No. 3430181
School No.66369